



जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक : जविप्रा/प्र.श.केस./2022

दिनांक : 04.01.2023

नियमन कैम्प कार्यक्रम

राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के द्वारा जविप्रा जोनों में स्थित कॉलोनियों के नियमन/आवंटन हेतु समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना में गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों/निजी खातेदारों द्वारा जमा कराये गये योजनाओं के रिकॉर्डों के आधार पर जाने में निम्नांकित आवासीय योजनाओं का प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 के अन्तर्गत नियमन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। समस्त आवेदक अपने भूखण्ड से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा परिसर में योजना की शिविर दिनांक को करवाना सुनिश्चित करावे।

जोन - पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)

क्र.सं.	कैम्प दिनांक	सोसायटी का नाम	योजना का नाम	ग्राम	भूखण्ड	शिविर स्थल
1.	13.01.2023	रामनगर गु.नि.स.स.	मूण्डनगर-सी	मान्यावास	1-31	जोन कार्यालय

जोन-9

क्र.सं.	खातेदार का नाम	योजना का नाम	ग्राम व तहसील का नाम	नियमन शिविर दिनांक	शिविर स्थल
1.	श्री किशन लाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद मीना	श्री राम विहार	ग्राम-चतरपुरा तहसील-सांगानेर	11.01.2023	जविप्रा जोन-9 परिसर

उपरोक्त योजनाओं की सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर आमजन को अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त योजनाओं की सदस्यता सूची के सम्बन्ध में अथवा अन्य कोई आपत्ति यदि किसी व्यक्ति/संस्था को हो तो कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में सम्बन्धित जोन उपायुक्त को कार्यालय में प्रस्तुत करें।

- ▶ कैम्प में डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.)/ बैंकर चैक के माध्यम से भी राशि स्वीकार्य।
- ▶ डी.डी. राशि अधिक होने पर आधिक्य राशि का रिफण्ड देय।
- ▶ कैम्प में इन्टरनेट बैंकिंग से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध।
- ▶ कैम्प में नागरिक सेवा केन्द्र में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाएंगे।

सचिव

जोन-12

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-5225

दिनांक : 04.01.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के जोनल प्लान 16 की 60 मीटर रोड/30 मीटर कोरीडोर में आ रही भूमि राजस्व ग्राम-हरचन्दपुराबास देवलिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर के खसरा नम्बर 120, 121, 143, 144 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 4.72 है. में से 3.5134 है. भूमि के खातेदार/स्वामी मैसर्स विनोद कुमार, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सशर्त समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंधपत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद-विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-12 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजों आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवधि को पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

राज. संवाद/सी/2022-23/.....

सचिव